न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर

पीठासीन अधिकारी राजन विशाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राजेन्द्र प्रसाद जोशी पुत्र स्व॰ श्री राम जीवन जोशी
   मकान नम्बर 135 ए, नरेन्द्र नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. आशुतोष कुमार जोशी पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जोशी
2. कल्पना दाधीच धर्मपत्नी श्री आशुतोष कुमार जोशी
   मकान नम्बर 135 ए, नरेन्द्र नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 09.12.2021 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 48/2021 ब उनवानी राजेन्द्र प्रसाद जोशी बनाम आशुतोष जोशी व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14.02.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 48/2021 ब उनवानी ब उनवानी राजेन्द्र प्रसाद जोशी बनाम आशुतोष जोशी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 से व्यथित हो कर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मैने उक्त अधिनियम के तहत मेरे बेटे और बहु द्वारा मेरे साथ मारपीट करने एवं मेरे मकान को अपने नाम से करवाने के लिए

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

परेशान करने पर उनके विरूद्व कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधिकरण में एक वाद दायर किया था, जिस पर सात महिने के बाद न्याय मिला। जिसमें उन्हें पाबन्दी का आदेश दिया गया है । यह आदेश तो जून 2021 को पहले के एस डी एम साहब ही सुना चुके थे, उसके उपरान्त भी इनका मारपीट व लडाई झगडा करना बन्द नहीं हुआ। इससे मै स्तब्ध हूं मैने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मेरी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर व मकान तुरन्त प्रभाव से खाली कराये, लेकिन आदेश उसके विपरीत मिला। मै एक भूतपूर्व सैनिक हूं तथा सेवानिवृत्त होने के बाद मेने जयपुर मे मकान बनाया। जो मेरी निजी सम्पत्ति है। यह मेरी पत्नी के नाम है। मेरे एक पुत्र व एक पुत्री है। पुत्र की शादी तीन वर्ष पूर्व ही की थी, लेकिन बहू के आते ही एक साल बीतते ही दोनों मेरा मकान अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाना प्रारम्भ कर दिया मेरी व मेरी पत्नी तथा मेरी बेटी के साथ मारपीट करना, घर से बाहर निकालना, आये दिन उपद्रव करना, धमकिया देना रोज का कार्य हो गया। आये दिन की धमकियों से हम तीनों प्राणी मानसिक व शारीरिक रूप से दुखी व परेशान है। मैनें थाना महेश नगर में तीन बार इनके विरूद्व परिवाद लिखवाया, किन्तु पुलिस द्वारा उनके विरूद्व कार्यवाही करने के बजाय हमे ही धमकाते रहते है व बन्द करने की धमकी देते रहते है। क्योंकि इसके भाई की पुलिस तथा उच्च लोगों से खास पहचान है। पुलिस से सहयोग नहीं मिलने पर मैने एस डी एम साहब जयपुर प्रथम व ए सी पी कोर्ट में वाद दायर किया, लेकिन प्रशासन ने मेरे साथ घटित गम्भीर परिस्थिति और घटनाओं की अनदेखी कर सात महिने बाद पाबन्दी का आदेश दे दिया। जबकि घर में लगे सी सी टी वी फुटेज प्रमाण के तौर पर प्रतिलिपि बना कर संलग्न की गई थी। मुझे अपेक्षित नहीं था, कानून की स्पष्ट व्याख्या व घटनाओं का प्रमाण होने के बावजूद भी आखिर मेरे साथ मेरे परिवार के साथ अन्याय क्यों किया गया। कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि माता पिता की इच्छा के विपरीत पुत्र व पुत्रवधु मकान में नहीं रह सकते है। पुत्र बालिग है, कमाता है वच हर प्रकार से सक्षम है। खर्चा देता नही, सेवा करता नहीं, मारपीट करता है। इसके व्यवहार से हम सदैव सहमें रहते है। उपरोक्त सभी तथ्य पुलिस परिवाद एवं एस डी एम जयपुर प्रथम के प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये है उसके आधार पर ही मैने मेरी तथा मेरी पत्नी की चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर मुझे राहत देने के लिए वाद दायर किया था इसके निर्णय से मै संतुष्ट नहीं हूँ । अधीनस्थ अधिकरण के निर्णय पर पुनः विचार कर प्रत्यर्थी मेरे पुत्र व पुत्रवधु को मेरी चल व अचल सम्पत्ति से एवं मेरे मकान को पूर्णरूप से खाली करने एवं सदा के लिए बेदेखली का आदेश फरमाया जावे।

5. प्रत्यर्थी संख्या एक का कथन है कि पहले व एक मल्टीनेशनल कम्पनी में कार्य करता था। अब कोरोना की वजह से कोई काम नही कर रहा है। प्रत्यर्थी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ केवल एक कमरे में रह रहे है, बाकी मकान अपीलार्थी के पास ही है। अपीलार्थी ही हमें घर से निकालना चाहता है। इसलिए आये दिन लडाई झगडा करते रहते है। अपीलार्थी अधिनियम की किस धारा के तहत प्रगत्यर्थीगण के विरूद्व मकान से बेदखली की कार्यवाही कराना चाहता है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया। वस्तु स्थिति यह है कि अधिनियम प्रावधानो के तहत केवल भरण पोषण राशि एवं धारा 23 के तहत सशर्त की गई गिफ्ट डीड को ही निरस्त किये जाने का प्रावधान है। पुत्र व पुत्र वधु को घर से बेदखल किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जाये।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

7. अपीलार्थी सेवानिवृत्त सैनिक है जिसे पर्याप्त मात्रा मे पेंन्शन राशि मिलती है। इसलिए भरण पोषण राशि की मांग नही की गई है। धारा 23 में सम्पत्ति का विक्रय या गिफ्ट डीड की शर्तो के उल्लंघन पर शून्य घोषित किये जाने का प्रावधान है। जबकि अपीलार्थी ने मकान नम्बर 135–ए, नरेन्द्र नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या 1 पुत्र व प्रत्यर्थी संख्या 2 पुत्रवधु को बेदखल कराना चाहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पास एक कमरा व एक रसोई है बाकी का मकान अपीलार्थी के पास ही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील नं. 3822/2020 एसएलपी (सी) नं. 29760/2019 श्रीमती विनीता बनाम डिप्टी कमीश्नर बेंगलूरू अरबन जिला व अन्य दिनांक 15.12.2020 के अनुसार सम्पत्ति से बेदखल किये जाने का क्षेत्राधिकर इस न्यायालय को ना होकर मान्य सिविल न्यायालय का माना है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नही है। अपीलार्थी के जीवन की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के साथ किसी तरह से दुर्व्यवहार, मारपीट, लडाई झगडा, गाली गलौच, अपशब्दों का प्रयोग आदि नहीं करने तथा मकान में बिना किसी बाधा के शान्ति पूर्ण जीवन यापन से निवास करने देने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को पाबन्द कर दिया गया है, जो उचित है। इस प्रकार अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है फलस्वरूप अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 09.12.2021 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल होवे। 14.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

14/02/2022

(सज्जन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)